



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 14-विनियम/2013-11-विनियम/88 (टीसी-2)

दिनांक : 15 जून, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 10-06-2013 को सम्पन्न 99वीं बैठक में मद सं०-निन्यानवे (19)/13 पर उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित) के भाग-4 के प्रस्तर-10 (भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता) में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में जारी किये गये कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-36-विनियम/पाकालि/2012-11-विनियम/88 (टीसी), दिनांक 17-12-2012 के स्तम्भ-2 (निम्नांकित स्तम्भ-1) में इंगित प्राविधानों को निम्नांकित स्तम्भ-2 के प्राविधानों से एतद्वारा, स्पष्ट करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गयी :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विनियम के भाग-4 के प्रस्तर-10: भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता किसी अभ्यर्थी में प्रशिक्षणार्थी अभियन्ता के रूप में सीधी भर्ती के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी का भली भाँति ज्ञान के साथ निम्न अर्हतायें होना आवश्यक है :- (1) A degree in Electrical/ Computer Science Engineering/Electronics/Telecommunication/Instrumentation Engineering/Information Technology from a University or Institution established by Law in Uttar Pradesh or from any other Institution recognized by the State Government or a Degree or Diploma recognized as Equivalent thereto by the State Government. OR (2) एसोशिएट मेम्बरशिप आफ इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के खण्ड "ए" व "बी" Note :- Degree/Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible.	विनियम के भाग-4 के प्रस्तर-10: भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता किसी अभ्यर्थी में प्रशिक्षणार्थी अभियन्ता के रूप में सीधी भर्ती के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी का भली भाँति ज्ञान के साथ निम्न अर्हतायें होना आवश्यक है :- (1) A degree in Electrical/ Computer Science Engineering/Electronics/Telecommunication/Instrumentation Engineering/Information Technology from a University or Institution established by Law in Uttar Pradesh or from any other Institution recognized by the State Government or a Degree or Diploma recognized as Equivalent thereto by the State Government. OR (2) एसोशिएट मेम्बरशिप आफ इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के खण्ड "ए" व "बी" Note :- Degree/Diploma received through distance Learning Education will not be eligible in direct recruitment as well as in promotion.
--	--

2. संगत विनियमावली एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-36-विनियम/पाकालि/2012-11-विनियम/88 (टीसी), दिनांक 17-12-2012 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल

संख्या : 14 -(1)-विनियम/2013-11-विनियम/88 (टीसी-2) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केसको, कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।
11. पत्रावली सं०-05-विनियम/88।

(वी०सी० श्रीवास्तव)
अपर सचिव (प्रथम)